

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 34/2015/भीलवाडा
मैसर्स अनिल प्रकाश सोनी
भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर, भीलवाडा
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एम.पी. शर्मा
अभिभाषक
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.08.2016

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 607/2011/भीलवाडा मैसर्स अनिल प्रकाश सोनी, भीलवाडा बनाम उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाडा व वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2012 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कान्ट्रेक्टर है और ठेका में कार्य लेकर कार्य निष्पादित करता है। अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2003-04 का कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2006 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित किया। व्यवहारी द्वारा उप महाप्रबन्धक, रीको लिमिटेड, भीलवाडा द्वारा अवार्डड संविदा कार्य में कल्वर्ट, नाली आदि का निर्माण कार्य किया था, जिसके तहत अपीलार्थी को संविदा कार्य से प्राप्त कुल प्राप्ति राशि पर डेढ प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क रु. 51,427/- निर्धारित किया गया। कान्ट्रेक्टर व्यवहारी से कर स्रोत पर अवार्डर उप महाप्रबन्धक, रीको लिमिटेड, भीलवाडा ने रु. 59,142/- जरिए एस टी 28 नम्बर 090136 वसूल की। इसके अतिरिक्त व्यवहारी अपीलार्थी ने मैसर्स रीको भीलवाडा को बिदुमिन सप्लाई भी किया था, जिसके विरुद्ध प्राप्त भुगतान राशि पर उसने देय कर रु. 46,956/- एवं रु. 76,430/- क्रमशः दिनांक 05.02.2004 एवं दिनांक 16.04.2004 को राजकोष में जरिए चालान जमा करवाये। उक्त कार्य करने हेतु विभाग के समक्ष कर मुक्ति शुल्क का विकल्प लिया गया, जिसके लिए व्यवहारी अपीलार्थी ने विभाग में नियमानुसार Undertaking प्रस्तुत की। अवार्डर ने भी Undertaking के आधार पर स्रोत पर मुक्ति शुल्क की कटौती की। कर निर्धारण अधिकारी ने

राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 12(4) के तहत अण्डरटेकिंग के कार्यों में प्राप्त कुल राशि रु. 34,28,460/-पर डेढ प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क एवं उस पर देय सरचार्ज आरोपित किया। व्यवहारी अपीलार्थी ने आयात किये गये बिटुमिन की राशि में से रु. 8,77,449/-का बिटुमिन मैसर्स रीको लिमिटेड, भीलवाडा को विक्रय करना दर्शाया, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने 12 प्रतिशत की दर से कर एवं उस पर 15 प्रतिशत से सरचार्ज, कुल रु. 1,21,088/-का करारोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये उक्त करारोपण से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जिसमें उन्होंने निर्णय दिनांक 13.11.2007 पारित कर ठेकेदार द्वारा बिटुमिन सप्लाई पर चुकाये गये कर के सम्बन्ध में जांच कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। परन्तु उक्त कर निर्धारण आदेश में **Undertaking** के आधार पर सृजित मांग रु. 57,427/- एवं रु. 1,21,088/-को कायम रखा। उपरोक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.11.2009 पारित किया, जिसमें यह अवधारित किया कि नियम 12(ए)(बी) के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुक्ति शुल्क का विकल्प लेने के बाद ठेकेदार का अण्डरटेकिंग के संविदा कार्यों से प्राप्त अपनी समस्त राशियों पर कर मुक्ति शुल्क जमा कराने का दायित्व है। अतः इस सन्दर्भ में व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर/राज्य के तहत से खरीदे गये संविदा कार्य से सम्बन्धित माल पर अण्डरटेकिंग के आधार पर जमा कराये गये मुक्ति शुल्क भुगतान में से तथा संविदा कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी पर मुक्ति शुल्क से छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 31.08.2012 को पारित कर अपील अस्वीकार कर दी गई, जिसमें संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया कि कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1308/2008 जो कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित है का निर्णय दिनांक 31.07.2012 हुआ था जिसके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टेक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 221/2012 दिनांक 07.04.2015 को निर्णय पारित किया जो चुका है, जिसके द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 31.07.2015 खारिज (quashed) कर दिया गया है, उसी आधार पर व्यवहारी की अपील संख्या 607/2012 वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित




पेश की गई थी, में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2012 को कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील अस्वीकार की गई है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टेक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 221/2012 दिनांक 07.04.2015 को पारित निर्णय के आलोक में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 607/2012 वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित पेश की गई थी, में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2012 में तदनुसार संशोधन करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 607/2012 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2012 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील संख्या 607//2011 में वर्ष 2004-05 में बिटूमन राज्य के बाहर से खरीद को सप्लाई मानत हुए कर व सरचार्ज आरोपित किया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1308/2008/भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2012 में भी यही बिन्दु विवादित था, के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टेक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 221/2012 पेश करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2015 को निर्णय पारित कर कर बोर्ड का आदेश अपास्त किया गया है, के आधार पर कर बोर्ड के आदेश दिनांक 31.08.2012 में संशोधन करने का निवेदन किया गा है, जिस पर मनन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 का सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"2. The Assessee contended before the authorities below that tax imposed on the assessee for such purchase of Bitumen for the execution of said works contract awarded by RIICO was covered by the exemption certificate for which 1.5% of the gross value of works contract was paid as exemption fees under the relevant Notification by the assessee, and therefore, any tax liability arising in respect of execution of the said works contract would be covered by that exemption certificate and no separate tax can be upheld or imposed upon such purchase of Bitumen for the execution works contract in question.


3. On the other hand, Mr. V.K. Mathur, learned counsel appearing for Revenue urged that it was very clearly stipulated in the contract awarded by the RIICO vide latter dated 10.12.2002, quoted in the learned Tax Board's order, and it is clearly agreed



that Bitumen for the said road work shall be arranged at the cost of assessee from the refinery to the site, which shall be reimbursed as per original bills of the oil companies, so produced before the RIICO therefore, purchase of Bitumen by the assessee was not an integral part of the works contract in question but was a separate transaction by the assessee for which tax liability has rightly been imposed by the Revenue against the assessee and the Tax Board was justified in upholding the order dated 04.01.2008 of the Deputy Commissioner (Appeals) Commercial Taxes, Udaipur.

4. Having heard the learned counsel for the parties and upon perusal of the impugned order of the Tax Board, this Court is satisfied that the authorities below have fallen into apparned error for holding that purchase of Bitumen by the assessee was not for the execution of works contract in question awarded by RIICO. The revenue authorities have erred in fastening the burden of proof on the assessee while holding that the commodity Bitumen was purchased by the assessee for execution of any other works contract, other than the works order in question awarded by RIICO and AVVNL to the assessee. Admittedly, the assessee holds a exemption certificate issued under the relevant Notification issued by State of Rajasthan and upon payment of exemption fees @ 1.5% of the gross value of works contract to the Sales Tax Department, the said exemption certificate was issued in favour of assessee for the aforesaid period in question. The said exemption certificate is issued upon taking said exemption fees which is also equivalent to the total tax liability of the assessee and in lieu of entire tax liability of the assessee for the period in question in respect of works contract, therefore, no additional tax can be imposed upon the assessee for the same works contract execution.

5. Unless the Revenue could establish that purchase of Bitumen was for some other works contract, not covered by the relevant exemption certificate, no tax liability in respect of the same works contract in question could be imposed on the assessee. There is rothing on record before this Court including any such findings of the authorities below in this regard, therefore, the contention of assessee that said Bitumen was purchased for the execution of the same works contract in question for which such exemption certificate was issued by the respondent Sales Tax Department, is well founded and the imposition of tax liability




upon the assessee separately from the exemption certificate cannot be sustained.

6. In view of above, the present revision petition of the petitioner Assessee deserves to be allowed, and the same is accordingly allowed. The impugned orders of all the three authorities are quashed and set aside. No costs. A copy of this order be sent to the concerned parties forthwith."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005-05 में सप्लाई किये गये बिटूमन के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया है किन्तु हस्तगत प्रकरण में वर्ष 2003-04 के सम्बन्ध सप्लाई किये गये बिटूमन को विवादित किया गया है। यदि उक्त दोनों वर्षों में सप्लाई किये गये बिटूमन के सम्बन्ध में कार्यादेश एक हो एवं शर्तें समान हों तो कर निर्धारण अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रोद्धारित निर्णय के प्रकाश में बिटूमन के सम्बन्ध में पारित कर निर्धारण आदेश में संशोधन करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 607/2011/भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2012 से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश में उपरोक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य